

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
चम्पावत

द्वितीय बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

तिथि	:	08.08.2018 (दिन बुधवार)
समय	:	पूर्वाह्न 10:00 बजे
स्थान	:	प्राधिकरण कार्यालय, आयुक्त सभागार, तल्लीताल, नैनीताल।
फोन	:	05965— 230285
फैक्स	:	05965— 230295

e-mail I.D.- dm-chp-ua@nic.in

दिनांक 08.08.2018, दिन बुधवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत की द्वितीय बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1- श्री राजीव रौतेला, आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल | - | अध्यक्ष |
| 2- श्री सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, जिलाधिकारी, चम्पावत | - | उपाध्यक्ष |
| 3- श्री एस. के. पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून | - | सदस्य (पदेन) |
| 4- श्री हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार, वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत- (सचिव, वित्त उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि) | - | सदस्य (पदेन) |
| 5- श्री पी.सी. लोहनी, अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल निगम, पिथौरागढ़ (प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम देहरादून के प्रतिनिधि) - | - | सदस्य (पदेन) |
| 6- सुश्री सीमा विश्वकर्मा, प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, चम्पावत | - | नामित सचिव |
| 7- श्री अभिनव कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत (जिलाधिकारी द्वारा नामित) - | - | सदस्य (पदेन) |
| 8- श्री एस.एम. श्रीवास्तव, सहयुक्त नियोजक, कुमायूँ, सम्भागीय नियोजन, खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी। | - | |

सर्वप्रथम सदस्यों का अभिवादन करते हुये प्राधिकरण की द्वितीय बोर्ड बैठक प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तावित बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं का कगशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

मद संख्या-02.01

प्रथम बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की प्रथम बोर्ड बैठक दिनांक 20.12.2017 की कार्यवाही को बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित उक्त प्रथम बोर्ड बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है। अतः प्रथम बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय:- बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की प्रथम बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या:-

प्रथम बोर्ड बैठक की बिन्दुवार अनुपालन से अवगत कराया गया। प्रथम बोर्ड बैठक की मद संख्या-01.01 के अन्तर्गत तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) के समस्त मैदानी क्षेत्रों को जनपद उधमसिंहनगर, हरिद्वार व नैनीताल की भांति जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को स्वीकृति हेतु भेजा जाना था, जिसे इस कार्यालय के पत्र संख्या:- 62/एल.बी.सी./मैदानी क्षेत्र/2017-18, दिनांक 03 जनवरी 2018 द्वारा मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास

84

प्राधिकरण, देहरादून को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।
दिनांक 06.08.2018 को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रथम बोर्ड बैठक की मद संख्या-01.02 के अन्तर्गत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत का मुख्यालय कलक्ट्रेट परिसर व क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर के कार्यालय तहसील परिसर टनकपुर में स्थापित किये जा चुके हैं तथा सूचना पट्ट भी स्थापित किये जा चुके हैं।

प्रथम बोर्ड बैठक की मद संख्या-01.06 के अन्तर्गत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत की महायोजना का कार्य उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा तैयार किया जा रहा है। जनपद चम्पावत के तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) के सम्पूर्ण मैदानी क्षेत्र के ग्रामों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने हेतु मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून को पत्राचार किया गया है। पुनः दिनांक 06.08.2018 को पत्राचार किया गया है।

प्रथम बोर्ड बैठक की मद संख्या-01.07 के अन्तर्गत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत में शासनादेशानुसार ऑफ लाईन मानचित्र की स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। ऑन लाईन स्वीकृति हेतु अनुपालन अवशेष है।

प्रथम बोर्ड बैठक की मद संख्या-01.16 के अन्तर्गत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत को शासन स्तर से किसी भी मद में कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2017-18 में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के खाते में जमा धनराशि ₹ 10,90,800.00 में से विकास प्राधिकरण के प्रचार-प्रसार, कार्यालय रंगाई-पुताई में कुल ₹ 1,01,491.00 का व्यय किया गया है।

प्रथम बोर्ड बैठक की मद संख्या-01.19 के अन्तर्गत वर्तमान में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में कोई वाद दायर नहीं है। संबंधित प्राधिकरणों के अधिवक्ताओं के निर्धारित दरों के संबंध में सूचना हेतु पत्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हरिद्वार एवं दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून को अधिवक्ताओं के पैनल के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया जाना है।

बोर्ड के उपरोक्त निर्णय का अनुपालन न होने से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। निर्देश दिये गये कि पूर्णागिरी (टनकपुर) के सम्पूर्ण मैदानी क्षेत्र को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्ताव सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास विभाग, देहरादून को पुनः प्रेषित किया जाय तथा अधिवक्ताओं के निर्धारित दरों के संबंध में सूचना हेतु पत्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हरिद्वार एवं दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून को अधिवक्ताओं के पैनल के सम्बन्ध में पत्र तत्काल प्रेषित किया जाय।

प्रथम बोर्ड बैठक में लिए गये उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करवाकर आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाए।

शेष निर्णयों की अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुपालन की पुष्टि की गयी।

64

मद संख्या-02.02

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों के मध्य से दोनों ओर 200 मीटर के अंतर्गत राजस्व ग्रामों में एकल आवासीय भवन व संयुक्त परिवार (200 वर्ग मीटर) तथा व्यवसायिक दुकान (30.00 वर्ग मीटर) तक के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत की बोर्ड बैठक दिनांक 20.12.2017 की अनुपालन आख्या के बिन्दु संख्या:-01 में निर्देश दिये गये हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों के मध्य से दोनों ओर 200 मीटर के अंतर्गत राजस्व ग्रामों में एकल आवासीय भवन/संयुक्त परिवार (200 वर्ग मीटर) तथा व्यवसायिक दुकानें (30.00 वर्ग मीटर तक जो रवयं द्वारा संचालित हों) को मानचित्र स्वीकृत किये जाने पर स्वतः छूट होगी। बशर्ते निर्माण भवन उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्परोधी हो। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

1- निर्माणकर्ता से इस आशय का शपथ-पत्र एवं मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र प्राप्त कर लिया जाय।

अथवा

2- निर्माणकर्ता से मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र प्राप्त कर प्राधिकरण के अभियन्ता से परीक्षण कराने उपरान्त निर्माण हेतु संबंधित को सूचित कर दिया जाय।

निर्णय :- प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निर्माणकर्ता से निर्माण उपविधि के मानकानुसार तथा निर्माण भूकम्परोधी होने का शपथ-पत्र एवं मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र प्राप्त कर लिया जाय।

मद संख्या-02.03

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत में आनलाईन मानचित्र स्वीकृत हेतु साफ्टवेयर के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श -

Ease of Doing Business के अंतर्गत ऑनलाईन मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया हेतु साफ्टवेयर तैयार किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्र संख्या:-146 दिनांक, 20.07.2018 द्वारा अवगत कराया गया था कि उत्तराखण्ड में पांच प्राधिकरणों में Ease of Doing Business की व्यवस्था के अन्तर्गत On line building Plan Approval System हेतु साफ्टवेयर डेवलपमेंट के कार्य मा. साफ्टेक इंजीनियरिंग प्रा.लि. से दिनांक 09.06.2016 को अनुबन्ध किया जा चुका है। Supply, Customization and implementation of Automated Building plan Scrutiny and Approval system हेतु साफ्टवेयर फर्म द्वारा 10 सप्ताह में विकसित किया जाना है। अनुबन्ध के अनुसार फर्म को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु समस्त प्राधिकरणों से सहभागिता के आधार पर धनराशि राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जानी है, के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है। अतः धनराशि ₹ 70.00 लाख (प्रत्येक प्राधिकरण) राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में उक्त धनराशि प्राप्त किये जाने तक एन.आई.सी. से साफ्टवेयर तैयार किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

84



निर्णय :- प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया, कि इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड आवास एव नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून से पृच्छा कर ली जाय कि उनके द्वारा प्राधिकरण हेतु ऑन लाईन मानचित्र स्वीकृति के लिये साफ्टवेयर स्थापित किये जाने हेतु कम्पनी से अनुबन्ध हुआ है अथवा नहीं तथा अनुबन्ध होने की दशा में अनुबन्ध की शर्तों का विवरण प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में यदि कोई अनुबन्ध सम्पादित नहीं हुआ है तो अध्यक्ष के समक्ष एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाय। वर्तमान में उडा के साँफ्टवेयर से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत भवन मानचित्रों को ऑनलाईन स्वीकृत किये जाने से ज्यूरिडिक्शन/अनुबन्ध सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, यह भी पृच्छा कर ली जाय, क्योंकि इस प्राधिकरण के मानचित्रों को स्वीकृत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एन.आई.सी. से भी साँफ्टवेयर के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करवाया जाये।

गद संख्या:-02.04:- उप जिलाधिकारी, पाटी एवं लोहाघाट को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत का दायित्व निर्वहन देना :-

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, की अधिसूचना संख्या:-1900/V-2/05(आ.)/2017, 17 नवम्बर 2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदत्त की गयी है:

1. प्राधिकरण का मुख्यालय चम्पावत होगा, जिसके अन्तर्गत तहसील चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट आच्छादित होगा।
2. क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर में अवस्थित होगा, जिसके अन्तर्गत तहसील श्री पूर्णागिरि आच्छादित होंगे।

उपरोक्तानुसार वर्तमान में प्राधिकरण का मुख्यालय चम्पावत में होने से सृजित राचिव पद पर प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, चम्पावत कार्यरत हैं। उनके द्वारा तहसील चम्पावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट एवं उप तहसील मचं एवं पुल्ला अन्तर्गत प्राधिकरण का समस्त कार्य निष्पादन किया जा रहा है। जनपद चम्पावत का पर्वतीय क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होने के कारण आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, लोहाघाट एवं पाटी में स्थापित करते हुए उप जिलाधिकारी, पाटी एवं लोहाघाट को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के दायित्व दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :-

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी। बोर्ड द्वारा उप जिलाधिकारी, पाटी और उप जिलाधिकारी, लोहाघाट को स्थानीय विकास प्राधिकरण का दायित्व दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उप जिलाधिकारियों को अधिकार दिया जाना प्राधिकरण के हित में होगा, क्योंकि वे क्षेत्र के पटवारियों के माध्यम से प्राधिकरण क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों की सूचना उपलब्ध कराये जाने में तथा उनको रोकने में सहायक हो सकेंगे। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक उप जिलाधिकारी के कार्य क्षेत्र में आने वाली तहसीलों तथा प्राधिकरण के सुचारु कार्य किये जाने हेतु उन्हें स्टाफ उपलब्ध कराये जाने का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उनके समक्ष

5

प्रस्तुत किया जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत प्राधिकरण के कार्यों के निष्पादन सम्बन्धी सूचनायें प्राधिकरण के मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। संयुक्त सचिव समस्त कार्यकलापों की सूचनायें मुख्यालय पर तैनात सचिव को उपलब्ध कराते हुये आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश प्राप्त करेंगे। इस व्यवस्था पर भी विचार कर इसे प्रस्ताव में उल्लिखित किया जाय। तदनुसार सम्पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किये जायें।

मद संख्या:-02.05

जनपद के समस्त स्थानीय निकाय क्षेत्र को निर्मित क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

जनपद चम्पावत में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र अन्तर्गत निकायों का क्षेत्र काफी विस्तृत व अविकसित है। नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत व उसके आस-पास के क्षेत्र अत्यन्त घने एवं संकीर्ण पाथ-वे पर विकसित हो चुके हैं। फलस्वरूप घनी आवादी अन्तर्गत भवनों के विस्तार/संशोधन में न्यूनतम पाथ-वे की चौड़ाई 02 मीटर से कम होने से मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। अतः नगर क्षेत्रान्तर्गत घनी आवादी का चिन्हीकरण करवाकर निर्मित क्षेत्र घोषित किये जाने व अन्य मानकों में शिथिलता का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत क्षेत्र अन्तर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि विनियम 2011 में निहित प्राविधानों के अनुसार ऐसे क्षेत्र जिनमें पहुंच मार्ग कम है, वहाँ राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका/नगर पंचायत की टीम द्वारा संयुक्त सर्वे करवाकर जी.आई.एस. मैपिंग, ड्रोन इत्यादि द्वारा स्थलीय फोटोग्राफ तथा राजस्व विभाग द्वारा नजरी नक्शा सम्मिलित कर निर्मित क्षेत्र का प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

मद संख्या:-02.06

ग्रामीण क्षेत्रों में भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु निर्धारित विकास शुल्क की दरों में संशोधन पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।

मानचित्रों के निस्तारण हेतु देय शुल्कों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत की प्रथम बोर्ड बैठक दिनांक 20.12.2017 के प्रस्ताव-01.10 में पारित प्रस्ताव "आवासीय भवन हेतु जहाँ पर आवासीय घनत्व वर्णित न हो, हेतु रू0 75/- प्रति वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर देय होगा।" उक्त प्रस्ताव में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के नव विस्तारित क्षेत्रान्तर्गत निर्मित क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु विकास शुल्क की दरें शासनादेश संख्या:-4697/V/श0वि0-आ0-2004-80 (सा0)/2003, दिनांक 19 अक्टूबर, 2004 द्वारा निर्धारित रू0 35/-प्रति वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर लिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:- विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के किसी क्षेत्र की अभी महायोजना नहीं बनी होने से आवासीय घनत्व परिभाषित नहीं है, जिससे शासनादेश संख्या:-4697/V/श0वि0- आ0-2004-80 (सा0)/2003 दिनांक 19 अक्टूबर,

84

2004 में उल्लिखित समस्त प्राधिकरण क्षेत्र में रू0 35.00 प्रति वर्गमीटर की दर से आवास निर्माण की अनुमन्यता (प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल) पर विकास शुल्क लिया जाय।

मद संख्या:-02.07:-

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण से प्राधिकरण के मामलों के भिन्न नियोजन विभाग एवं अभियान्त्रिकी विभाग से एक-एक कार्मिक तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।

जनपद चम्पावत में शासनादेश संख्या:-1807/V-2/2017-05 (आ0)/2017 आवास अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 13 नवम्बर 2017 से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। नवगठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत में प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्यों से भिन्न कोई भी कार्मिक नहीं है, जिससे प्राधिकरण के कार्यों को सम्पादन किये जाने में काफी कठिनाईयों महसूस की जा रही है। यदि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण से प्राधिकरण मामलों के भिन्न नियोजन विभाग एवं अभियान्त्रिकी विभाग से एक-एक कार्मिक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत में तैनात किये जाय तो इससे जहाँ विकास प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है, वहीं प्राधिकरण की आय में वृद्धि होने के साथ ही आम जनता को भी सुविधा होगी।

अतः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण से प्राधिकरण मामलों के भिन्न नियोजन विभाग एवं अभियान्त्रिकी विभाग से एक-एक कार्मिक तैनात किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत है।

निर्णय:- इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त कार्मिक नहीं होने के कारण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में अलग से तैनात किया जाना सम्भव नहीं है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में तैनात वरिष्ठ अवर अभियन्ताओं को प्रत्येक प्राधिकरण के कार्यों को नियम संगत किये जाने हेतु रोस्टर के आधार पर प्रत्येक सप्ताह हेतु तैनात किया जा चुका है। इन अवर अभियन्ताओं से प्राधिकरण की समस्त तकनीकी कार्यों का निस्तारण कराया जायेगा।

मद संख्या:- 02.08:-

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के सम्बन्ध में।

जनपद चम्पावत में शासनादेश संख्या:-1807/V-2/2017-18 (आ.)/2017 आवास अनुभाग-2, देहरादून, दिनांक 13 नवम्बर 2017 से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का गठन होने के पश्चात शासन स्तर से किसी भी प्रकार की कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकारी, चम्पावत के बैंक खाते में पूर्व में विनियमित क्षेत्र/स्थानीय विकास प्राधिकरण/जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र शुल्कों से वर्तमान तक र 14,98,763.00 की धनराशि प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष र 1,01,491.00 की धनराशि प्राधिकरण के प्रचार-प्रसार एवं कार्यालय की स्थापना हेतु व्यय की गयी है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत हेतु वर्ष 2018-19 में आवश्यकतानुसार धनराशि व्यय की जायेगी।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2104/V-2/2017-53 (आ0)/2014 आवास अनुभाग-2, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय एवं जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों के ढाँचे में पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत हेतु

६५

उक्तानुसार स्वीकृत कार्मिकों की नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्स से कार्मिकों की नियुक्ति किये जाने हेतु वेतन आदि मद में रूपया-5,00,000.00 (पाँच लाख मात्र) एवं कार्यालय व्यय लेखन सामग्री, कार्यालय कम्प्यूटर उपकरणों एवं फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु ₹ 5,00,000.00 कुल ₹10,00,000.00 (दस लाख) की धनराशि स्वीकृति/अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विकास प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत है।

निर्णय :- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का बजट तैयार कर लिया जाय। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत हेतु उक्तानुसार स्वीकृत कार्मिकों की नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्स से कार्मिकों की नियुक्ति किये जाने हेतु वेतन आदि मद में धनराशि कम होने के कारण मात्र ₹ 1,00,000.00 (एक लाख मात्र) एवं कार्यालय व्यय लेखन सामग्री, कार्यालय कम्प्यूटर उपकरणों एवं फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु ₹ 1,00,000.00 कुल ₹ 2,00,000.00 (दो लाख) की धनराशि स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

अन्य बिन्दु:-01- अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रचलित व्यावसायिक, ग्रुप हाऊसिंग, अनावासीय भवन निर्माण जो अपूर्ण एवं अधिभोग हेतु पूर्ण नहीं है, के सम्बन्ध में ऐसे भवनों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जाय:-

- 1- सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत।
- 2- सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी- सदस्य।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0 वि0 सम्बन्धित क्षेत्र-सदस्य।
- 4- उप जिला अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र-सदस्य।
- 5- उप खण्ड अधिकारी, वन विभाग सम्बन्धित क्षेत्र आवश्यकतानुसार-सदस्य।

निर्णय :- उक्त समिति ऐसे निर्माणों के सम्बन्ध में 01 माह में आख्या उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत को प्रस्तुत करेगी। उपाध्यक्ष द्वारा अन्तिमीकृत किया जायेगा।

अन्य बिन्दु:-02-

मानचित्रों की स्वीकृति प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने के सम्बन्ध में

प्राधिकरण की प्रथम बोर्ड बैठक दिनांक 20.12.2017 के मद संख्या. 01.13 में मानचित्रों की स्वीकृति हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अनापत्ति को प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था, जो निम्नवत् है:-

1- अनापत्ति प्रमाण पत्र-

अ- पर्वतीय भू-भाग में प्राप्त होने वाले मानचित्रों के निस्तारण हेतु भू-वैज्ञानिक जिला टास्क फोर्स हल्द्वानी, लो0नि0वि0, वन विभाग एवं सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी के अनापत्ति पत्रों की अनिवार्यता होगी।

2- अधिनियम की धारा-14, 15 एवं 15 (A) का प्रतिनिधायन निम्नानुसार किया गया:-

अ- क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त होने वाले समस्त मानचित्रों का पंजीकरण

64

सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में ही होगा। संयुक्त सचिव स्तर से मात्र भूखण्ड क्षेत्रफल 350.00 वर्गमीटर तक में एकल आवासीय भवन मानचित्रों का निस्तारण उक्तानुसार वर्णित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर निस्तारित किये जायेंगे। संयुक्त सचिव प्रत्येक माह निस्तारित मानचित्रों की सूचना मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

ब- सचिव स्तर से मात्र भूखण्ड क्षेत्रफल 350.00 वर्गमीटर तक में एकल आवासीय भवन मानचित्रों का निस्तारण उक्तानुसार वर्णित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर निस्तारित किये जायेंगे।

उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त होने वाले समस्त एकल आवासीय भवन मानचित्र 350.00 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल के तथा समस्त अनावासीय, व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग मानचित्र पत्रावलियों सहयुक्त नियोजक की आख्या एवं तकनीकी आख्या सहित पत्रावलियों सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृति एवं अस्वीकृति जारी करने का कार्य अपने-अपने क्षेत्रों की पत्रावलियों पर सचिव एवं संयुक्त सचिव द्वारा किया जायेगा।

निर्णय:- पर्वतीय क्षेत्र में पूर्ववत् व्यवस्था के अनुसार भवन मानचित्रों पर सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की अनापत्ति पत्र की अनिवार्यता यथावत् रहेगी तथापि उनके द्वारा पूर्व निर्देशों के क्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अभियन्ता को तकनीकी आख्या हेतु प्राधिकरण में यथावत् भेजा जायेगा।

प्राधिकरण के पर्वतीय क्षेत्र में भू-वैज्ञानिक की अनापत्ति-पत्र के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि भू-वैज्ञानिक के अनापत्ति-पत्र की आवश्यकता पर भी विचार किया जाय, क्योंकि शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) में भूकम्परोधी निर्माण सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार सभी आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, राजकीय इन्जीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रक्चरल डिजायन विशेषज्ञ विभाग के अतिरिक्त शासन द्वारा स्ट्रक्चरल इन्जीनियर नामित किये गये हैं। मैदानी क्षेत्रों में 9.00 मी0 से अधिक व पर्वतीय क्षेत्रों में 7.50 मी0 से अधिक ऊँचाई के प्रत्येक निर्माण पर भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रमाण-पत्र आवश्यक है तथा भूकम्परोधी डिजायन व निर्माण के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शासन द्वारा नामित स्ट्रक्चरल इन्जीनियर/राजकीय विभाग का है तथा मैदानी क्षेत्रों में 6.00 मी0 से 9.00 मी0 व पर्वतीय क्षेत्रों में 4.00 मी0 से 7.50 मी0 तक ऊँचाई के आवासीय व गैर आवासीय भवनों हेतु मानचित्र तैयार करने वाले आर्किटेक्ट/इंजीनियर द्वारा भूकम्परोधी प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं।

अतः भूकम्परोधी डिजायन व निर्माण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शासन द्वारा नामित स्ट्रक्चरल इन्जीनियर/राजकीय विभाग तथा आर्किटेक्ट/इन्जीनियर का है।

सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि भू-वैज्ञानिक की आख्या में भूकम्परोधी निर्माण किये जाने, भूमि की स्थिरता आदि के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आख्या नहीं दी जाती है। सभी आख्यायें सामान्यतः एक प्रकार की होती हैं।

84

इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भू-वैज्ञानिक से प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अनापत्ति को अनिवार्य किया जाय तथा प्राधिकरण भू-वैज्ञानिक से अनापत्ति पत्र हेतु मानक निर्धारित करते हुये प्रारूप तैयार करें, तदनुसार ही निर्धारित प्रारूप पर अनापत्ति-पत्र प्राप्त की जाने की कार्यवाही की जाय, ताकि भू-वैज्ञानिक का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित हो सके।

इसके साथ ही नगर पालिका परिषद् चम्पावत के क्षेत्रों को छोड़कर 7.50 मी० तक की ऊँचाई के एकल आवासीय भवनों के भू-वैज्ञानिक की अनापत्ति के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, क्षेत्र की आवश्यकतानुसार अपने स्तर से निर्णय लेंगे। अन्य प्रकरणों में भू-वैज्ञानिक की अनापत्ति निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त करायी जाय।

उक्त के अतिरिक्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय जिसके क्रम में आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर स्वीकृति हेतु प्राधिकरण में अनापत्ति पत्र जमा की जाय, जिसके उपरान्त निर्धारित समयावधि में प्राधिकरण, मानचित्र स्वीकृत करना सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु:-03-

अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक तहसील में प्राधिकरण का क्षेत्र, उद्देश्य, अवस्थापना विकास के तहत क्षेत्रीय जनता हेतु किये जाने वाले विकास कार्यो, मानचित्र स्वीकृति के प्राविधानों एवं जनता से अपेक्षाओं का उल्लेख करते हुये सूचना पट्ट लगाये जायें। प्राधिकरण का आम जनता में प्रचार-प्रसार कर जनता से सहयोग हेतु कार्यवाही की जाय। इस हेतु 03 माह में एकबार मानचित्र निस्तारण एवं जनता की शिकायतों इत्यादि के निराकरण हेतु आम जनता के साथ बैठक आहूत की जायें तथा इसे "प्राधिकरण दिवस" के रूप में मनाया जाय। उक्त दिवस में प्राधिकरण के समस्त कार्मिक व सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी तथा उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव सभी प्रतिभाग करते हुये प्राधिकरण से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का निवारण करना सुनिश्चित करेंगे। तहसीलों में माह 25.09.2018 तक समस्त सूचना पट्ट स्थापित कर दिये जायें।

चम्पावत नगर एवं राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर हो रहे निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही, अवैध निर्माणों को सीलबन्द एवं अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाय। अतिक्रमण को हटाने हेतु अपेक्षित विभागों का भी सहयोग लिया जाय। इसी प्रकार अन्य मार्गों पर भी कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

अन्य बिन्दु:-04-

शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में प्रथम बोर्ड बैठक दिनांक 20-12-2017 की मद संख्या 01.11 में मानचित्रों हेतु देय शुल्कों की व्यवस्था है। उक्त में शासनादेश संख्या:- 4697 / V / श०वि०-आ०-2004-80(सा०)/2003, दिनांक 19 अक्टूबर, 2004 एवं शासनादेश संख्या:-1895 / V / आ०-2016-11(एल०यू०सी०)/03-2016, दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को स्वीकार किया गया है।

६

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव व विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त मानचित्र स्वीकृतियों पर आरोपित होने वाले भू-उपविभाजन शुल्क के संबंध में निर्णय लिया गया। 200 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल तक एकल आवासीय भवन मानचित्रों पर मैदानी क्षेत्रों में एक प्रतिशत एवं इससे अधिक 2000 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल पर 2 प्रतिशत भू उपविभाजन शुल्क आरोपित होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में उक्त का 50 प्रतिशत ही देय होगा।

एकल आवासीय से अतिरिक्त 2000 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल तक के समस्त भवन मानचित्रों पर प्राधिकरण के पूर्ववर्ती निर्णयानुसार उपविभाजन शुल्क नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत 5 प्रतिशत व बाह्य क्षेत्र में 10 प्रतिशत देय होगा तथा 2000 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल के समस्त आवासीय एवं गैर आवासीय भवन मानचित्रों पर 3 प्रतिशत देय होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में उक्त का 50 प्रतिशत ही देय होगा।

अम्बार शुल्क शासनादेश संख्या- 136 दिनांक 24.07.2003 के अनुसार देय नहीं है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत देय निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर राशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड सदस्यों द्वारा विचार रखा गया कि उक्त उपकर राशि सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में विभागीय पोर्टल labour.uk.gov.in में जाकर Establishment /Registration under B.O.C.W में ऑन लाईन आवेदक द्वारा जमा कराया जाय एवं इसकी रसीद प्राधिकरण में प्रस्तुत करने पर मानचित्र स्वीकृति देय शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति सुनिश्चित की जायेगी तथा यदि किसी निर्माण हेतु आवेदक द्वारा यह शपथपत्र दिया जाय कि सम्बन्धित निर्माण हेतु 10 से ज्यादा श्रमिक कार्य नहीं करेंगे तो उक्त निर्माण पर उक्त उपकर देय नहीं होगा। यद्यपि उपरोक्त के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण श्रम विभाग से उक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।

अन्य बिन्दु:-04-

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के तहत स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के मार्गाधिकार का निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की प्रथम बोर्ड बैठक के मद संख्या:-01.06 में निर्णय लिया गया था कि मुख्य नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि जिन क्षेत्रों की महायोजना निर्मित नहीं है, के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इन क्षेत्रों में पड़ने वाले मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राज्य मार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों के मार्गाधिकार (Right of Way) सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विभाग यथा लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति पत्र लिया जाय। इन क्षेत्रों में एकल आवासीय एवं फुटकर दुकानों के मानचित्रों को छोड़कर अवशेष मानचित्रों हेतु शासनादेशानुसार भू-उच्चीकरण शुल्क आरोपित करते हुए निस्तारण किया जाय। सर्वसम्मति से तदनुसार कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन किया गया।

उक्तानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला मार्ग एवं ग्रामीणमार्ग के मार्गाधिकार सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विभाग/लोक निर्माण विभाग का अनापत्ति पत्र लिये जाने का निर्णय हुआ है। भवन निर्माण उपविधि के विनियम चैप्टर-iv के बिन्दु संख्या 4.4 में भी व्यवस्था है कि महायोजना अथवा रोडसाईड कंट्रोल एक्ट में निर्धारित मार्गाधिकार में से जो भी

64

अधिक हो, को मार्ग का भाग माना जायेगा। अतः स्पष्ट है कि रोड साईड कंट्रोल एक्ट के तहत अनापत्ति लिया जाना होगा।

सूच्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अनापत्ति पत्रों में मार्गों के Right of Way का उल्लेख नहीं होता है। मार्ग मध्य से भवन की दूरी का ही उल्लेख किया जाता है, जिस कारण मानचित्रों के निस्तारण में कठिनाई होती है तथा मार्गों की चौड़ाई में भी एकरूपता नहीं हो पाती है।

उक्त के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I) से पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र में मानकानुसार मार्गों का मार्गाधिकार एवं लोक निर्माण विभाग से राजमार्ग एवं अन्य मार्गों के मानकानुसार मार्गाधिकार के सम्बन्ध में पृच्छा करते हुए तदनुसार मार्गाधिकार निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं मार्गों के मानकानुसार मार्गाधिकार सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता की एक बैठक उपाध्यक्ष आहूत कर अपेक्षित मानकों का संकलन करें तथा प्राधिकरण स्तर पर अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपद के सभी मुख्य मार्गों के मानकानुसार मार्गाधिकार एवं अग्रसेट बैंक में किसी प्रकार का निर्माण न होना भी सुनिश्चित कर लिया जाय। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं से समन्वय स्थापित किया जाय तथा मार्गाधिकार में कोई भी अवैध निर्माण होने पर उसके विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही कर हटाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अन्य बिन्दु:-05-

वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित में याचिका संख्या-47/2013 मनमोहन लखेड़ा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 18 जून, 2018 को पारित आदेश बिन्दु- V- "The State Govt, is directed to carryout necessary amendment in the Building bye- laws Nagar Nigam, Dehradun and MDDA that no unauthorized construction is compounded to arrest the tendency of the people to raised unauthorized construction by paying measure compounding fee. The compounding of entire unauthorized construction is against rule of law."

उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण, नैनीताल के अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गयी है। प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा अपनी विधिक राय दिनांक 25.07.2018 में उल्लेख किया गया है कि:-

That the state Government, if in compliance of the orders passed by the Hon'ble High Court, proceeds to amend the bye-law that definitely effect the bye-law of the Nainital District level Development Authority and under such circumstances, it can not be said that the orders are passed only in the case of Mussoorie Dehradun Development authority, Dehradun. Presently the structure and constitution of the MDDA and NDDA Nainital are identical created under the same statute and hence it is the opinion of the undersigned that no further steps with regard to the compounding be proceeded till the final decision is taken by the State Government in this regard.

84

Needless to mention herein that the Hon'ble Apex Court has also not interfered with the order and the SLP (Civil) NO. 17817/2018 was disposed of on 17.7.2017 without orders in this regard.

Therefore, in view of the aforesaid, the compounding applications pending before the authority be not further processed. In as much as, the affect of the judgement and order passed by the Hon'ble Court will equally apply to the NDDA also.

उक्तानुसार वर्णित प्राधिकरण के पूर्ववर्ती निर्णयों के क्रम में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है एवं वर्णित मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अग्रेतर कोई भी अवैध निर्माण प्रशमित नहीं किये जा सकते हैं। मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त उक्त संशोधन के साथ शमन उपविधि लागू करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि शमन उपविधि में किसी प्रकार का संशोधन विचारणीय नहीं है क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या:-47/2013 में दिनांक 18.06.2018 को पारित आदेशानुसार में शमन उपविधि के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है। अवैध निर्माणों के शमन सम्बन्धी कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

अन्य बिन्दु:-06-

जनहित याचिका संख्या:-119/2013, अनुज कंसल बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 के सम्बन्ध में।

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या:-119/2013, अनुज कंसल बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 19-6-2018 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या -14(v) में आदेशित किया गया है कि "The State Govt. shall not permit the use of agriculture land recorded in revenue record as agriculture land to be converted for group housing complex taking into consideration the acute shortage of farming land in the State of Uttarakhand. It is made clear that this will not applied to a farmer who wants to build a house for himself as per the U.P.Z.A and L.R act till suitable legislation is made. In other word there shall be ban on coersion of agriculture land/orchard land for construction of group housing project/complex by the societies till the enactment of law."

उक्त के क्रम में प्राधिकरण नैनीताल के अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गयी है। प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 25-7-2018 में उल्लेख किया गया है कि:-

"That since the Hon'ble Court has categorically banned the conversion of the agricultural land/orchard land for construction of group housing project /complexes including by the societies till the enactment of the law. The effect of the order is that the sanction of the construction over the agriculture land shall be permitted only to such farmers who for their own purpose wants to construct a residential house and no other map can be processed with regard to the agricultural land recorded as agricultural land in the revenue record.

In view of the aforesaid, it is opined herein that over the agricultural land no commercial construction or group housing be permitted and the map shall be processed only to the extent of the land owner being the farmers want to construct the residential house for his own purpose."

64

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर से उक्त के सम्बन्ध में कोई शासनादेश लागू है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं है। तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।


निर्णय:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश का अनुपालन किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।



उपाध्यक्ष

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
चम्पावत।



अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
चम्पावत।